N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0338 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 22/12/2025 15:17 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 19/12/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/12/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 22/12/2025 15:17:54 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** AAROPI SOMENDRA KUMAR SAINI KE PARICHIT KA BALLABHGARH ROAD, BHUSAWAR PAR STHIT MAKAN

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KRISHNA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMKISHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1999 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BADA MOHALLA BHUSAWAR, BHUSAWAR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BADA MOHALLA BHUSAWAR, BHUSAWAR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHAGWAT PARSAD SAINI		पिता:CHHAJARAM SAINI	1. MUNDARA COLONY,BHUSAWAR,BHUSAWAR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	SOMENDRA KUMAR SAINI URF ASHISH		पिता:JAGMOHAN SAINI	1. BALLABHGARH,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	बीस हजार रूपये भारतीय मुद्रा एवं एक लाख तीस हजार रूपये डमी नोट	1,50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी भरतपुर (राज) विषय-रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मै कृष्णा पुत्र रामकिशन जाटव निवासी बडा मौहल्ला भुसावर का रहने वाला हूं। मैने अरूण बंशी आचार उधोग के नाम से भुसावर बारौली मोड पर आचार फैक्ट्री है मैने अपने उधोग को बडाने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उधोग उन्नयन (PMFME) योजना के अन्तर्गत 10 लाख रूपये के लोन हेतु पंजाब नेशनल बैंक शाखा भुसावर जिला भरतपुर में आवेदन किया था। लोन के बार में जानकारी करने के लिए मै बैंक में गया तो बैंक के एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी द्वारा लोन पास करने के लिए 1,50,000 रूपये की मांग कर रहा है। मै ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि इसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी से कोई लेन देन नहीं है और ना ही कोई रंजिश है। कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 18/12/2025 एसडी कृष्णा प्रार्थी कृष्णा पुत्र रामकिशन जाटव निवासी बडा मोहल्ला भुसावर जिला भरतपुर फोन नं एसडी अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर 18/12/2025, एसडी दिनेश चन्द गर्ग 19.12.2025 एसडी पवन कुमार 19.12.2025कार्यवाही पुलिसप्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 18.12.2025 समय - 02.30 पीएम,पर परिवादी श्री कृष्णा पुत्र रामकिशन जाति जाटव उम्र 26 साल निवासी बडा मौहल्ला भुसावर पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति मय अपनी फैक्ट्री अरूण बंसी आचार उधोग के कागजात की छायाप्रति के मन अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मै कृष्णा पुत्र रामकिशन जाटव निवासी बडा मौहल्ला भुसावर का रहने वाला हूं। मैने अरूण बंशी आचार उधोग के नाम से भुसावर बारौली मोड पर आचार फैक्ट्री है मैने अपने उधोग को बडाने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उधोग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अन्तर्गत 10 लाख रूपये के लोन हेतु पंजाब नेशनल बैंक शाखा भुसावर जिला भरतपुर में आवेदन किया था। लोन के बार में जानकारी करने के लिए मै बैंक में गया तो बैंक के एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी द्वारा लोन पास करने के लिए 1,50,000 रूपये की मांग कर रहा है। मै ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि इसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी से कोई लेन देन नहीं है और ना ही कोई रंजिश है। कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट को मैं मेरे बडे भाई सुनील से लिखवाकर लाया हूं। जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं और बताया कि एग्रीकल्वर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी आज नहीं मिल पायेगा। वह कल दिनांक 19.12.25 को बैंक में ही मिल जावेगा। मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। इसपर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री गोकुलेश कानि0 454 को बुलाकर परिवादी से परिचय कराकर कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉइस रिकॉडर निकालकर वॉइस रिकॉडर में नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी श्री कृष्णा को रिकॉर्डर को बंद व चालू करने की विधि समझाई गई तथा परिवादी को हिदायत की गई कि आप कल दिनांक 19.12.25 को भुसावर में ही समय 10.00 एएम पर मिल जाना। बाद हिदायत परिवादी कृष्णा को समय 03.30 पीएम पर रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 19.12.2025 को समय 08.30 एएम पर डिजीटल वॉइस रिकॉडर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकाल कर श्री गोकुलेश कानि0 454 को जरिये फर्द सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी कृष्णा को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय

देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें बाद हिदायत श्री गोकुलेश कानि0 को मय अपनी निजी मोटर साईकिल से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु भुसावर रवाना करने पर समय 12.50 पीएम पर मय परिवादी श्री कृष्णा के उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आया जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉडर मय मैमोरी कार्ड को जरिये फर्द प्राप्त किया गया। मन अति0 पुलिस अधीक्षक के पूछने पर परिवादी ने बताया कि श्री गोकुलेश कानि0 समय करीब 10.00 एएम पर पीएनबी बैंक के पास आ गये थे जहां पर में पहले से की आपके कहे अनुसार गोकुलेश जी का इन्तजार कर रहा था। मैने गोकुलेश कानि0 को बताया कि एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी आने वाला है। तत्पश्चात श्री गोकुलेश कानि0 ने मुझे डिजीटल वॉईस रिकॉडर को चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द कर मुझे एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी से रिश्वत मांग सत्यापन की बातचीत करने पीएनबी बैंक के लिए रवाना किया था मै रवाना होकर पीएनबी बैंक के अन्दर पहुंचा जहां मुझे एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी मिला जिनसे मेरी मेरे लोन के संबंध में बातचीत हुई और एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी ने मुझसे लोन को पास करने के लिए 1,50,000 रूपये रिश्वत की मांग की। इसके बाद में वापस श्री गोकुलेश कानि0 के पास आया इन्होने मेरे से डिजिटल वॉइस रिकार्डर को प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया मैने श्री गोकुलेश कानि को बताया कि एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी से मेरी लोन सम्बंधी बात हो गई हैं। मैनेजर ने मेरे से लोन पास करने के लिये 1,50,000 रूपये रिश्वत की मांग की है और रिश्वत राशि लेकर आज ही बुलाया है मैने एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी से हुई रिश्वत सम्बंधी बातचीत को वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। इसके बाद मैं और श्री गोकुलेश कानि0 भुसावर से रवाना होकर एसीबी कार्यालय भरतपुर आये। परिवादी के किये हुये कथनों के सम्बंध में श्री गोकुलेश कानि0 से पूछा तो उसने परिवादी के कथनों की ताईद की इस पर डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से सुना गया तो रिकार्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता होना पायी गई। तथा परिवादी ने बताया कि मेरे पास 1,50,000 रूपये रिश्वत राशि का इन्तजाम नहीं है मेरे पास केवल 20,000 रूपये हैं एवं 260 नोट 500-500 के मनोरंजन बैंक के हैं। परिवादी के पास पूर्ण रिश्वत राशि नहीं होने पर कार्यवाही हाजा में डमी करेन्सी का उपयोग किया जावेगा। तत्पश्चात समय 01.10 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहन की आवश्यकता होने पर श्री कपिल कानि0 168 को संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग भरतपुर के पद नाम तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु कार्यालय संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग भरतपुर रवाना करने पर समय 01.30 पीएम पर मय दो स्वतंत्र गवाह के उपरोक्त फिकरा वाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आया श्री कपिल कानि0 168 के साथ आये हुये गवाहन को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना अपना नाम क्रमशः दिनेश चन्द गर्ग पुत्र श्री विशनलाल जाति वैश्य उम्र 39 साल निवासी नगला तेरहिया पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल निवासी गिरीश बिहार कोलोनी काली बगीची के पास भरतपुर हाल पशुधन निरीक्षक कार्यालय जिला पशुधन आरोग्य चल इकाई भरतपुर व पवन कुमार पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद जाति कोली उम्र 40 वर्ष निवासी नमक कटरा बैरागपुरा कमला रोड भरतपुर थाना कोतवाली जिला भरतपुर हाल पशुधन निरीक्षक कार्यालय संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग भरतपुर होना बताया। कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री कृष्णा से दोनो गवाहन का आपस में परिचय कराकर परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराया तथा परिवादी द्वारा दी गई लिखित तहरीरी रिपोर्ट में पढवाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहन से कार्यवाही में बतौर गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनो गवाहों ने अपनी अपनी मौखिक सहमति दी प्रमाण स्वरूप दोनो गवाहों ने परिवादी की लिखित तहरीरी रिपोर्ट पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 01.50 पीएम पर गवाहन के समक्ष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री कृष्णा पुत्र रामकिशन जाति जाटव उम्र 26 साल निवासी बडा मौहल्ला भुसावर पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 40 (चालीस नोट) भारतीय चलन मुद्रा के कुल 20,000/-(बीस हजार) रूपये व 260 नोट 500-500 के डमी करेंसी 1,30,000/- कुल राशि 1,50,000/-रूपये जिसमें डमी करेंसी प्रत्येक पर भारतीय मनोरंजन बैंक व पीछे की तरफ पॉच सौ कूपन लिखा हुआ है अपने पास से निकालकर मन अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किये पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया एवं सभी 260 डमी नोटो पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने लघु हस्ताक्षर किये तत्पश्चात श्री अवधेश कुमार हैडकानि नं. 68 से मालखाना खुलबाकर श्रीमति सगुन कुमारी महिला कानि. नं.-43 से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलबाया जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्रीमति सगुन कुमारी महिला कानि. नं.-43 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री कृष्णा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह पवन कुमार से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 40 (चालीस नोट) भारतीय चलन मुद्रा के कुल 20,000/-(बीस हजार) रूपये व 260 नोट 500-500 के डमी करेंसी 1,30,000/- कुल राशि 1,50,000/-रूपये को एक अखबार का पेज में ल्पेट कर अखबार पर भी फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया उक्त रिश्वत राशि को श्रीमति सगुन कुमारी महिला कानि. नं.-43 से परिवादी की पहनी हुई जैकेट की बायीं तरफ की अन्दर की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि

वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर रिश्वत राशि प्राप्त करने का सिर पर हाथ फेरकर कर या फोन कर मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री पवन कुमार से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाली श्रीमति सगुन कुमारी महिला कानि. नं.-43 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर के डिब्बा को बंद ढक्कन कराकर श्रीमति सगुन कुमारी महिला कानि. नं.-43 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहन, श्री दिलीप कुमार कानि0 610 सुशील कुमार कानि. नं.-557, श्री परसराम कानि0 203 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक विजय सिंह कानि0 339 के आगे आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री विनोद सिंह कानि0 114, श्री गोकुलेश कानि0 454 श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 मय परिवादी कृष्णा मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय प्राइवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु पंजाब नेशनल बैंक शाखा भुसावर जिला भरतपुर के लिये रवाना हुआ रिश्वत राशि पर पाउडर लगाने वाली श्रीमति शगुन कुमारी महिला कानि0 43 को कार्यलय में ही छोडा गया। रवाना होकर समय 03.35 पीएम पर बल्लभगढ रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास पहुंचा वाहनों को रोड के साइड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने हेतु पंजाब नेशनल बैंक शाखा भुसावर रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 श्री गोकुलेश कानि0 454, श्री दिलीप कुमार कानि0 610 को रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहन मय शेष पार्टी सदस्यों के अपनी पहचान छुपाते हुये बैंक के आसपास खडा हो गया। परिवादी के नियत इशारे का इंतजार है। कुछ समय पश्चात परिवादी बिना कोई इशारा किये हुये एक व्यक्ति के साथ बात करता हुआ बैंक से बाहर आया और रोड पर एक अन्य व्यक्ति के साथ परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल पर बैठाकर बल्लभगढ की तरफ भेज दिया इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हमराही स्टाफ में से श्री परसराम कानि0 को, परिवादी के साथ बाहर आये हुये व्यक्ति पर नजर रखने की हिदायत देकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहन व ट्रेप पार्टी सदस्यों के परिवादी के पीछे पीछे बल्लभगढ रोड पर रवाना हुआ कुछ दूरी पश्चात ही परिवादी व अन्य व्यक्ति एक रोड की साइड में स्थित मकान की पास अपनी मोटरसाईकिल रोक कर परिवादी व अन्य व्यक्ति उस मकान के अन्दर चले गये। मन अतिरिक्त् पुलिस अधीक्षक ने वाहन को उचित दूरी पर खडा कर परिवादी की अग्रिम प्रतिक्रिया के इन्तजार में मुकीम हो गया। तत्पश्चात समय 04.00 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री कृष्णा ने भाईसाहब भाईसाहब बोलकर आवाज देता हुआ मेरी तरफ भागता हुआ आया जिस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता व परिवादी के बताये अनुसार भुसावर बल्लभगढ रोड पर एक मकान के बाहर पहुंचा जहां परिवादी श्री कृष्णा ने इशारा कर बताया कि इस घर के अन्दर ही है। मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता घर के अन्दर प्रवेश किया तो घर के अन्दर दो तीन महिलायें मिली जिनको अपना व हमराहीयान का परिचय देकर यह घर किसका है व अन्दर कोई व्यक्ति के सम्बंध में पूछा तो उन्होने पुष्पेन्द्र सैनी का मकान होना बताया व यहां कोई व्यक्ति नही है मना कर दिया जिस पर घर के पीछे जाकर देखा एक व्यक्ति खडा हुआ था। जिसका दायां हाथ कलाई के ऊपर से श्री दिलीप कुमार कानि0 610 से बांया हाथ कलाई के ऊपर से श्री सुशील कुमार कानि0 557 से पकडवाया जाकर रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो मना कर दिया कि मैने कोई रिश्वत नहीं ली। जिसे मुख्य गेट पर लेकर आये तो परिवादी ने देखकर बताया कि यही है यही है इसी को पैसे दिये मैने स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आस - पास तलाश कर एक पट्टी (पत्थर) के नीचे देखकर परिवादी ने बताया ये रहे ये रहे पैसे। जिससे पूर्व से सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष पुत्र जगमोहन सैनी जाति माली उम्र 25 साल निवासी बल्लभगढ

थाना भुसावर जिला भरतपुर होना बताया जिस पर गोकुलेश कानि0 को अपने मोबाईल से विडियो रिकार्डिंग चालू करा कर स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश चन्द गर्ग से उक्त रिश्वत राशि व अखबार के पेज को उठवाया जाकर उक्त गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया विडियो रिकार्डिंग बंद करा कर उक्त रिश्वत राशि का मिलान पूर्व में कार्यालय में बनाई गयी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हूबहू पाये गये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहन मय डिटेन शुदा आरोपी सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष के मय सरकारी व निजी वाहन के रवाना पीएनबी बैक भुसावर हुआ। बैंक के पास रोड पर परिवादी ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही भगवत प्रसाद सैनी मैनेजर साहब है जिन्होने अभी अभी मुझे अपने भांजे सोमेन्द्र को रिश्वत राशि देने की कहकर सोमेन्द्र कुमार सैनी के साथ उसकी निजी मोटर साईकिल से भेजा था। जहां सोमेन्द्र सैनी ने मेरे से अखबार में लिपटे हुये 1,50,000 रूपये (20,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा एवं 1,30,000 डमी करेन्सी) के लेकर खोलकर गिने तो उसे डमी करेन्सी का पता चल गया उसने वह राशि फेंक दी। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराही यान मय आरोपी सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष के उक्त रोड पर खडे हुये व्यक्ति को अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम भगवत प्रसाद सैनी पुत्र छाजाराम सैनी जाति माली उम्र 33 साल निवासी मुण्डारा कोलानी भुसावर थाना भुसावर जिला भरतपुर होना हाल एग्रीकल्चर मैनेजर पीएनबी बैक शाखा भुसावर होना बताया जिसे परिवादी से रिश्वत राशि लेने व सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष को दिलाने के सम्बध में पूछा तो आरोपी भगवत प्रसाद सैनी ने परिवादी से कोई रिश्वत राशि नहीं लेना व मैने परिवादी को मेरे भांजे सोमेन्द्र कुमार सैनी को देने की नहीं कहा था। परिवादी ने बताया कि भगवत प्रसाद सैनी मैनेजर साहब व सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष झूठ बोल रहे हैं। अभी थोडी देर पहले भगवत प्रसाद सैनी मैनेजर साहब है जिन्होने अभी अभी मुझे अपने भांजे सोमेन्द्र को रिश्वत राशि देने की कहकर सोमेन्द्र कुमार सैनी के साथ उसकी निजी मोटर साईकिल से भेजा था। सोमेन्द्र कुमार सैनी ने अपने परिचित पुष्पेन्द्र सैनी के मकान पर मेरे से अखबार में लिपटे हुये 1,50,000 रूपये (20,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा एवं 1,30,000 डमी करेन्सी) के लेकर खोलकर गिने तो उसे डमी करेन्सी का पता चल गया उसने वह राशि फेंक दी। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही यान मय आरोपीगण सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशिष व भगवत प्रसाद सैनी के पीएनबी बैंक शाखा भुसावर पहुचा। तत्पश्चात श्री गोकुलेश कानि0 454 से उसके मोबाईल से विडियो रिकार्डिंग चालू करवाकर अग्रिम कार्यवाही करते हुए ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास व तामचीनी के कटोरे को निकलवाकर बैंक परिसर के अन्दर रखे हुये पानी के कैम्पर से पानी मगवा कर डिस्टपोजल गिलास व तामचीनी के कटोरे को साफ करवाकर डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया एवं पुनः ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर डिस्पोजल गिलास व तामचीनी के कटोरे को अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशिष के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश चन्द गर्ग के पास पूर्व से रखी हुई रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये (20,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा एवं 1,30,000 डमी रूपये) का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से पुनः कराया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये के नोटो का विवरण फर्द में अंकित करवाया गया, रिश्वत राशि एवं 260 नोट पांच-पांच सौ रूपये के डमी करेंसी कुल 1,30,000 उक्त सभी नोटों व अखवार के पेज को एक सफेद कागज की चिट के साथ सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया, परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक् से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। तत्पश्चात पुनः तसल्ली देकर आरोपी भगवत प्रसाद सैनी से रिश्वत राशि की मांग करने व अपने भांजे सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष को दिलाने के सम्बंध में पूछा तो आरोपी भगवत प्रसाद सैनी ने बताया कि आज मैं बैंक में था मेरे पास कृष्णा नहीं आया था और न ही मैने कृष्णा से रिश्वत की कोई बात की न ही मैने मेरे भांजे सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष को देने के लिये कहा था इसके बाद सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष से रिश्वत के सम्बंध में पूछा तो आरोपी सोमेन्द्र कुमार सैनी ने कहा कि मैं मेरे गांव से आया था मैं बैंक के बाहर रोड पर आकर रूका था उसके बाद मैं कृष्णा को मेरे मामा भगवत प्रसाद सैनी के कहने पर मेरी मोटरसाईकिल पर बैठाकर अपने परचित पुष्पेन्द्र सैनी के मकान पर ले गया और मुझे कृष्णा ने अखवार में लिपटे हुये रूपये दिये जिनको मैने खोलकर देखा तो 500-500

रूपये की तीन गड्डिया थीं जिनमें से मुझे कुछ नकली नोट प्रतीत हुये तो मैने कृष्णा को कहा कि ये नकली नोट मुझे क्यो देकर जा रहा है इसके बाद कृष्णा घर से बाहर चला गया और मैं डर कर घर के पीछे की तरफ चला गया। कुछ समय बाद आपकी टीम आ गयी और मुझे पकड लिया। इसके बाद ऋण शाखा लिखे हुये टेबिल के पास कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति से नाम पूछकर लोन के सम्बंध में जानकारी चाही तो अपना नाम नरोत्तम स्वामी लोन आफीसर होना बताकर बताया कि लोन सम्बंधी फाईल पीएमएफएमई पोर्टल पर ऑनलाइन कराने पर बैंक के पास आती है फिर बैंक अधिकारी फाईल को चैक करके उचित कार्यवाही करते है। तत्पश्चात आरोपीगण भगवत प्रसाद सैनी एग्रीकल्चर मैनेजर व सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष प्राइवेट व्यक्ति का उक्त कृत्य धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) का अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपीगण को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिव की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 07.30 पीएम पर दोनो गवाहों के समक्ष आरोपी भगवत प्रसाद सैनी से परिवादी श्री कृष्णा के लोन की पत्रावली के सम्बंध में पूछा तो बताया कि पत्रावली लोन अधिकारी नरोत्तम स्वामी के पास है इस पर पास में ही कार्य कर रहे श्री नरोत्तम स्वामी लोन अधिकारी पीएनबी शाखा भुसावर से परिवादी की लोन पत्रावली के सम्बंध में पूछा तो उन्हाने अपनी टेबिल से एक पत्रावली जिसके कवर पर अरूण बंशी अचार भुसावर लिखा हुआ है पेश की जिसका अवलोकन किया गया तो पत्रावली पेज 1 लगायत 25 है जिसमें पेज संख्या 1 से 7 तक लोन आवेदन का ऑनलाईन डाटा है एवं पेज संख्या 8 पर जिन्दल सप्लायर्स का कुटेशन है पेज संख्या 9 पर परिवादी के आधार कार्ड की छायाप्रति पेज संख्या 10 पर परिवादी के परिवारजन का बिजली का बिल व पेज संख्या 11 से 13 तक उद्योग रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है एवं पेज संख्या 14 पर फूड लाईसेन्स है तथा पेज संख्या 15 से 25 तक लोन सम्बंधी दस्तावेज है एवं पत्रावली की वर्तमान स्थिति के सम्बंध में पूछा तो श्री नरोत्तम स्वामी ने अपने कार्य करने के कम्प्यूटर से एप्लीकेशन आईडी 1891251462662 की वर्तमान स्थिति के दो पेज पेश किये जिस पर लोन का स्टेटस पेण्डिग विध लेण्डिग बैंक है उक्त पत्रावली की प्रकरण हाजा में वजह सबूत आवश्यकता होने पर एवं परिवादी का वैध कार्य प्रभावित न हो इस कारण पत्रावली की छाया प्रति कराई जाकर श्री नरोत्तम स्वामी से प्रमाणित कराई जाकर छायाप्रति पत्रावली के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं लोन की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट पर भी हस्ताक्षर एवं प्रमाणित करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा श्री नरोत्तम स्वामी लोन अधिकारी को परिवादी की मूल पत्रावली लौटाई जाकर हिदायत की गयी कि परिवादी का वैध कार्य किया जावे। फर्द जब्ती रिकॉर्ड पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.15 पीएम इस समय दोनो गवाहों के समक्ष भगवत प्रसाद सैनी पुत्र छाजाराम सैनी जाति माली उम्र 33 साल निवासी मुण्डारा कोलानी भुसावर थाना भुसावर जिला भरतपुर होना हाल एग्रीकल्चर मैनेजर पीएनबी बैंक शाखा भुसावर द्वारा परिवादी कृष्णा से उसके प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उधोग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अन्तर्गत लोन को पास करने की एवज में एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी द्वारा परिवादी से 1,50,000 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 19.12.2025 को परिवादी श्री कृष्णा से अपने भांजे सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष को रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये दिलवाना एवं रिश्वत राशि को सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष द्वारा बैंक के पास स्थित परिचित के मकान में पट्टी(पत्थर) के नीचे से बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री पवन कुमार से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक वन प्लस कम्पनी का मोबाईल जिसमें जीओ व वी.आई की सिम डली हुई है जिनके नं0 क्रमशः एवं है एवं जेब में 1000/- रूपये व स्वंय का आधार कार्ड जिसके नम्बर मिले। राशि के संबध में पूछा गया तो उसने अपने स्वंय खर्च के होना बताया। आरोपी के पास मिली राशि के संबंध में संतोषप्रद जबाव देने पर उक्त राशि व मोबाईल को आरोपी के कहे अनुसार मौके पर उपस्थित सहकर्मी मैनेजर अजीत कुमार मीणा को सुपुर्द किया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना भी अजीत कुमार मीणा को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.00 पीएम पर दोनो गवाहों के समक्ष सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष पुत्र जगमोहन सैनी जाति माली उम्र 25 साल निवासी बल्लभगढ थाना भुसावर जिला भरतपुर द्वारा अपने मामा भगवत प्रसाद सैनी मैनेजर एग्रीकल्चर पीएनबी शाखा भुसावर के कहने पर परिवादी कृष्णा से उसके प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उधोग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अन्तर्गत लोन को पास करने की एवज में रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये प्राप्त करना एवं रिश्वत राशि में कुछ नोट डमी होने के कारण आरोपी द्वारा बैंक के पास स्थित परिचित के मकान में पट्टी(पत्थर) के नीचे रखना जहां से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री पवन कुमार से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक वीवो कम्पनी का मोबाईल जिसमें जीओ की सिम डली हुई है उक्त मोबाईल को आरोपी के कहे अनुसार मौके पर उपस्थित मैनेजर अजीत कुमार मीणा को सुपुर्द किया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना भी अजीत कुमार मीणा को दी गई। फर्द गिरफ्तारी

पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहन मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण मय परिवादी मय ट्रेप टीम मय जब्त शुदा आर्टीकल धोबन की शील्ड शीशीयां रिश्वत राशि मुताबिक फर्दात मय लैपटॉप प्रिन्टर, वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय सरकारी व प्राइवेट वाहनों के मौके से रवाना होकर घटना स्थल बरामदगी रिश्वत राशि का नक्शा मौका कशीद करने हेतु समय 09.35 पीएम पर घटना स्थल पर पहुंचा जहां गाडी की लाइटों की रोशनी में परिवादी की निशादेही पर गवाहन की उपस्थिति में नक्शा मौका कशीद किया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहन मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण मय परिवादी मय ट्रेप टीम मय जब्त शुदा आर्टीकल धोबन की शील्ड शीशीयां रिश्वत राशि मुताबिक फर्दात मय लैपटॉप प्रिन्टर, वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय सरकारी व प्राइवेट वाहनों के एसीबी चौकी भरतपुर के लिये रवाना होकर समय 10.45 पीएम पर एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचा जहां जब्तशुदा रिश्वत राशि एवं धोवन की शील्ड शीशियां कुल चार, को मुताबिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैडकानि नं. 68 को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तथा डिजीटल वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात श्री मुनेश कुमार उप निरीक्षक मय श्री परसराम कानि0 203 श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 मय सरकारी गाडी मय चालक विजय सिंह कानि0 339 मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण भगवत प्रसाद सैनी व सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशिष के थानाधिकारी पुलिस थाना मथुरागेट के नाम तहरीर जारी कर आरोपीगण को बन्द हवालात कराने हेतु रवाना करने पर समय 11.10 पीएम पर बाद कराकर बन्द हवालात आरोपीगण भगवत प्रसाद सैनी व सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशिष को वापस कार्यालय आया। कार्यवाही हाजा की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन देन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जारी है अतः दोनो स्वतंत्र गवाहन को कल दिनांक 20.12.2025 को समय 9.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूकसत किया गया। तथा परिवादी को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 20.12.2025 समय 09.15 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री पवन कुमार व श्री दिनेश चन्द गर्ग उपस्थित कार्यालय आये तत्पश्चात समय 09.20 एएम पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 19.12.25 जो डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड है, उक्त वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ताओं की ऑडियो फाइल का एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर की सहायता से एमडी5 व एसएचए1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 09.30 एएम पर परिवादी कृष्णा व आरोपी एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी पंजाब नेशनल बैंक शाखा भुसावर के मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 19.12.25 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष सीडी तैयार करवाकर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और तीन सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में अलग-अलग रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त-हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 19.12.25 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर की सहायता से एमडी5 व एसएचए1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 11.15 एएम पर परिवादी कृष्णा व आरोपी एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी पंजाब नेशनल बैंक शाखा भुसावर व आरोपी के भांजे सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 19.12.25 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष सीडी तैयार करवाकर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और तीन सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में अलग-अलग रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वॉइस रिकार्डर में से मैमोरी कार्ड को निकालकर एक प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर थैली पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एम अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी व शील्ड मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना

करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 19.12.25 को आरोपीगण व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर की सहायता से एमडी5 व एसएचए1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 01.15 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री गोकुलेश कानि. नं. 454 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी व हाथ धुलाई की स्वयं के मोबाईल द्वारा की गई वीडियोग्राफी की चार सीडियॉं तैयार करवायी गई सीडीयों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर तीन सीडियों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं एक सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। शील्ड सीडियों को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द रिश्वत राशि बरामदगी वीडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 75 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया।अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री कृष्णा द्वारा अपनी अरूण बंशी अचार उधोग नाम से अचार फैक्ट्री के उधोग को बढाने के लिये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अन्तर्गत दस लाख रूपये का लोन लेने हेतु पंजाब नेशनल बैंक शाखा भुसावर में आवेदन किया था लोन को पास करने की एवज में एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी द्वारा दिनांक 19.12.2025 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 1,50,000 रूपये रिश्वत की मांग करना उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 19.12.2025 को ही रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये (500-500 के 40 नोट कुल 20,000 भारतीय चलन मुद्रा के व 500-500 के 260 डमी करन्सी के नोट कुल 1,30,000) को, परिवादी से अपने भांजे सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष को दिलवाना व रिश्वत राशि को सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष द्वारा अपने किसी परिचित के मकान पर पट्टी(पत्थर) के नीचे रखना जहां से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त आरोपीगण भगवत प्रसाद सैनी पुत्र छाजाराम सैनी जाति माली उम्र 33 साल निवासी मुण्डारा कोलानी भुसावर थाना भुसावर जिला भरतपुर होना हाल एग्रीकल्चर मैनेजर पीएनबी बैक शाखा भुसावर व सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष पुत्र जगमोहन सैनी जाति माली उम्र 25 साल निवासी बल्लभगढ थाना भुसावर जिला भरतपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है।अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भरतपुर.............कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. भगवत प्रसाद सैनी पुत्र छाजाराम सैनी, जाति माली, उम्र 33 साल, निवासी मुण्डारा कोलानी भुसावर, थाना भुसावर, जिला भरतपुर, हाल एग्रीकल्चर मैनेजर पीएनबी बैक शाखा भुसावर व 2. सोमेन्द्र कुमार सैनी उर्फ आशीष पुत्र जगमोहन सैनी जाति माली उम्र 25 साल निवासी बल्लभगढ थाना भुसावर जिला भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 349 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1912-15 दिनांक 22.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- अंचल प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक, भरतपुर 3- उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** - निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.) -

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 2[illegible]2/2025 [illegible]

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				
2	Male	2000				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)